न्यायालयः— यशोदा नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोण्डगांव जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

//संशोधित दांडिक कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक—क्यू/मु.न्या.मजि./2023 कोण्डागांव दिनांक 25.09.2023

मैं यशोदा नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ0ग0) पूर्व में जारी किये गये समस्त कार्य विभाजन संबंधी आदेशों को अतिष्ठित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14(1) सहपठित धारा 15(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य निम्नानुसार नवीन कार्य विभाजन करता हूं जो माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0 के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशाली होगा।

क0	स्तम्भ कं.—02	स्तम्भ कं.—03	स्तम्भ कं.—04
1	2	3	4
1	**श्रीमती यशोदा नाग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0**	आरक्षी केन्द्र 1) कोण्डागांव, 2) माकडी 3) बड़ेडोगर, 4) बयानार 5) अनन्तपुर 6) यातायात शाखा कोण्डागांव	1. स्तंभ क0—3 के आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, मोटर यान अधिनियम, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। 2. स्तंभ क0—3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना। 3. स्तंभ क0—3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 4. स्तंभ क0—3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करनां। 5. राजस्व जिला कोण्डागांव से उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1922, कम्पनी अधिनियम 1957, धनकर अधिनियम 1957, आयकर अधिनियम 1964, सीमाशुल्क अधिनियम 1962, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969, विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, माईनिंग अधिनियम 1952 का संज्ञान लेना एवं उनका निराकरण करना।

			6 राजस्व जिला कोण्डागांव के सभी आरक्षी केन्द्रों एवं राजस्व जिला कोण्डागांव के सभी आबकारी वृत्तों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) जिसमें 5 लीटर से अधिक शराब जप्ती से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना। 7. आबकारी वृत्त कोण्डागांव द्वारा स्तंभी क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न पांच बल्क लीटर तक के मदिरा जप्ती से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना। 8. ऐसे अन्य प्रकरण जो इस कार्य विभाजन आदेश में आबंटित नहीं है तथा ऐसे प्रकरण जो किसी विधि अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय है, उनका निराकरण करना। 9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर, एवं माननीय सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यो एववं मामलों का निराकरण करना। 10. आरक्षी केन्द्र केशकाल, धनोरा, विश्रामपुरी एव ं ईरागांव के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों में धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृति लेखबद्ध करना तथा **स्तंभ क्रमांक 03 में वर्णित उनके अधिकारिता रखने वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न संबंधित सत्र प्रकरणों एवं पॉक्सो प्रकरणों में धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृति लेखबद्ध करना।** **11.** आरक्षी केन्द्र कोण्डागांव, माकडी, बड़ेडोगर, बयानार, अनन्तपुर से उत्पन्न किशोर न्याय बोर्ड में विचारणीय प्रकरणों में धारा 164 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृति कथन लेखबद्ध करना।
02	**श्री शिव प्रकाश त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0**	आरक्षी केन्द्र 1) फरसगांव 2) मर्दापाल 3) उरंदाबेडा 4) पुंगारपाल	1. स्तंभ क्र0–3 के आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, मोटर यान अधिनियम, संविदा एव ं श्रमिक अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। 2. स्तंभ क्र0–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 3. स्तंभ क्र0–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 4. स्तंभ क्र0–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। 5. आरक्षी केन्द्र फरसगांव, मर्दापाल, उरन्दाबेडा, कोण्डागांव, माकडी बड़ेडोंगर, बयानार, अनन्तपुर व कुगरपाल के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना।

			6 आबकारी वृत्त कोण्डागांव द्वारा स्तंभी कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न पांच बल्क लीटर तक के मदिरा जप्ती से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना। 7. ऐसे समस्त प्रकरण जो अन्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते है या जिनके संबंध में यह विवाद हो कि वह प्रकरण कहा जाएगा का निराकरण करना। 8. माननीय सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोण्डागांव द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यो एवं मामलों का निराकरण करना। 9. आरक्षी केन्द्र कोण्डागांव, माकड़ी, बड़ेडोंगर, बयानार एवं अनन्तपुर के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों में धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृति लेखबद्ध करना तथा **स्तंभ कमांक 03 में वर्णित उनके अधिकारिता रखने वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न संबंधित सत्र प्रकरणों एवं पॉक्सो प्रकरणों में धारा 164 द. प्र.सं. के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृति कथन लेखबद्ध करना।**
3	**श्रीमती अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, केशकाल, जिला कोण्डागांव छ0ग0**	आरक्षी केन्द्र 1) केशकाल 2) धनोरा 3) विश्रामपुरी 4) ईरागांव	1. स्तंभ क0–3 के आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, मोटर यान अधिनियम, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। 2. स्तंभ क0–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। 3. स्तंभ क0–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 4. स्तंभ क0–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करनां। 5. स्तंभ क0–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना। 6 आबकारी वृत्त केशकाल द्वारा स्तंभ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न पांच बल्क लीटर तक के मदिरा जप्ती से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना। 7. माननीय सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोण्डागांव द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यो एवं मामलों का निराकरण करना। 8. आरक्षी केन्द्र फरसगांव, मर्दापाल, पुंगारपाल एवं उरन्दाबेड़ा के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों में धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृति लेखबद्ध करना तथा **स्तंभ कमांक 03 में**

			वर्णित उनके अधिकारिता रखने वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न संबंधित सत्र प्रकरणों एवं पॉक्सो प्रकरणों में धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृति लेखबद्ध करना। 9. आरक्षी केन्द्र फरसगांव, मर्दापाल, उरंदाबेड़ा, पुंगारपाल, केशकाल, धनोरा, विश्रामपुरी, ईरागांव से उत्पन्न किशोर न्याय बोर्ड में विचारणीय प्रकरणों में धारा 164 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृति कथन लेखबद्ध करना।

–:आवश्यक टीपः–

1. तालिका स्तंभ क्रं.–1 में दर्शित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करने हेतु नीचे दिये जा रहे तालिका के स्तंभ क्रं.–2 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट और उनके अनुपस्थित रहने पर स्तंभ क्रं–3 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है।
2. टीप क्रं.–1 के अनुसार की नीचे दिये जा रहे तालिका अनुसार अगर उपरोक्त किसी कारण से तालिका क्रं.–1, 2 एवं 3 के वर्णित मजिस्ट्रेट के एक साथ अनुपस्थित रहने की स्थिति में सिविल जिला कोण्डागांव में उपस्थित मजिस्ट्रेट द्वारा अत्याश्यक कार्य किया जावेगा।
3. धारा–195 द.प्र.सं. के तहत लिखित परिवाद नीचे दिये गये तालिका के स्तंभ क्रं.–1 में उल्लेखित न्यायालय से संबंधित होने की स्थिति में उसी तालिका के स्तंभ क्रं.–2 मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लिये जायेंगे।
4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनके अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जायेंगे।
5. कोण्डागांव जिला में पदस्थ संक्षिप्त विचारण की शक्तियों से वेष्ठित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्र में माह में एक बार माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय कोण्डागांव की पूर्व अनुमति से एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोण्डागांव को सूचित करते हुये जो दैनिक न्यायालय कार्य को प्रभावित किये बिना किया जायेगा चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।
6. नीचे लिखी तालिका के अनुसार स्तंभ क्रं.–1 के मजिस्ट्रेट उस प्रकरण के संज्ञान लेने हेतु अधिकृत रहेंगे जिसमें अभियुक्त जुर्म स्वीकार करना चाहता हो तथा निराकरण करते समय ध्यान रखे कि द.प्र.सं. की धारा–468(2) के उपबंधों की अवहेलना न हो।
7. अवकाश में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट नीचे तालिका अनुसार प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे।
8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव के अवकाश पर रहने शासकीय दौरे पर रहने मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके द्वारा लिये जा सकने वाले धारा 164 द.प्र.सं. के कथन एवं संस्वीकृति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोण्डागांव द्वारा लिया जावेगा।
9. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल के अवकाश पर रहने शासकीय दौरे पर रहने मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके द्वारा लिये जा सकने वाले धारा 164 द.प्र.सं. के कथन एवं संस्वीकृति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव द्वारा लिया जावेगा।
10. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोण्डागांव के अवकाश पर रहने शासकीय दौरे पर रहने मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके द्वारा लिये जा सकने वाले धारा 164 द.प्र.सं. के कथन एवं संस्वीकृति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल द्वारा लिया जावेगा।

तालिका निम्नानुसार है :–

न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम			
क्रं.	**स्तम्भ क्रं.–01**	**स्तम्भ क्रं.–02**	**स्तम्भ क्रं.–03**
1	श्रीमती यशोदा नाग	श्री शिव प्रकाश त्रिपाठी	श्रीमती अंजली सिंह

	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटेट कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल, जिला कोण्डागांव छ0ग0
2	श्री शिव प्रकाश त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0	श्रीमती यशोदा नाग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटेट कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0	श्रीमती अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल, जिला कोण्डागांव छ0ग0
3	श्रीमती अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल, जिला कोण्डागांव छ0ग0	श्री शिव प्रकाश त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0	श्रीमती यशोदा नाग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटेट कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0

यह कार्य विभाजन आदेश अनुमोदन पश्चात तत्काल प्रभाव से लागू होगा।